

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 05.08.2026 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स, समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण – दि० 05.08.2026

वीडीए अभियंता नहीं दबा पाएंगे फाइलें

जागरण संवाददाता, वाराणसी: भवन स्वामियों की सुविधा के लिए नियम सरल, बेहतर सुविधा देने, पारदर्शी संग तथ अवधि में मकान का आनलाइन वीडिए कंपाउंडिंग सिस्टम (ओवीसीएस) का मंगलवार को शुभारंभ वाराणसी विकास प्राधिकरण में किया गया। भवन स्वामी को अपने भवन का कंपाउंडिंग कराने के लिए कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। अवर अभियंता से लेकर वीडिए उपाध्यक्ष के बीच में फाइल कहां और क्यों रुकी है, इसकी जानकारी भवन स्वामी को होती रहेगी। अभियंता कंपाउंडिंग की फाइल को अपने पास दबाकर या नहीं मिलने, खो जाने और प्रपत्र पूरे नहीं होने का बहानेबाजी नहीं कर पाएंगे। इसकी मनीटरिंग खुद वीडिए उपाध्यक्ष करने के साथ लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पूर्ण बौरा ने ओवीसीएस का शुभारंभ करते हुए



विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पूर्ण बौरा मंगलवार को आनलाइन वीडिए कंपाउंडिंग सिस्टम का शुभारंभ करने के बाद अधीनस्थों को निर्देश देते हुए • स्रोत-वीडीए

• विकास प्राधिकरण में आनलाइन वीडिए कंपाउंडिंग सिस्टम शुरू

• कंपाउंडिंग के लिए कार्यालय का नहीं लगाना होगा चक्कर

कहा कि अभी तक नक्शा से संबंधित कंपाउंडिंग की फाइलें आफलाइन जमा होती थीं। कई बार फाइलों की प्रगति का पता लगाना कठिन होता था। कुछ मामलों में फाइलों का ट्रैक भी खो जाता था। ओवीसीएस लागू होने के बाद अब कंपाउंडिंग के आवेदन पूरी तरह आनलाइन किए जा सकेंगे। आवेदक अपने मकान का नक्शा व सभी प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड करेंगे। आनलाइन शुल्क

जमा कर अपने आवेदन की रियल-टाइम स्टेटस ट्रैकिंग भी कर सकेंगे। आर्किटेक्ट व भवन स्वामी आवेदन की प्रगति आनलाइन देख सकेंगे। नक्शा व कंपाउंडिंग से संबंधित स्वीकृत एवं लंबित प्रकरणों की जोनवार समीक्षा भी की गई। उन्होंने प्रवर्तन कर्मियों को नियमित क्षेत्र में निरीक्षण करने के साथ अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अमर उजाला – दि० 05.08.2026

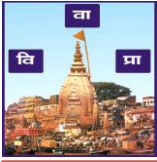
कंपाउंडिंग के लिए आवेदन होंगे ऑनलाइन

वाराणसी। वीडिए उपाध्यक्ष पूर्ण बौरा ने मंगलवार को वीडिए सभागार ऑनलाइन वीडिए कंपाउंडिंग सिस्टम (ओवीसीएस) का शुभारंभ किया गया। ओवीसीएस लागू होने के बाद अब कंपाउंडिंग के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे। ब्यूरो



: vcvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पत्रा लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

हिन्दुस्तान – दि० 05.08.2026

वीडीए में शमन मानचित्र अब ऑनलाइन जमा हो सकेगा

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। वीडिए के ऑनलाइन कंपाउंडिंग सिस्टम (ओवीसीएस) का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। इसमें शमन मानचित्र का आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा। आवेदक तथा आर्किटेक्ट घर बैठे उसे ट्रेक कर सकेंगे। वीडिए मुख्यालय में उपाध्यक्ष पुर्ण बोराने ओवीसीएस का शुभारंभ किया।

मानचित्र स्वीकृति से संबंधित कंपाउंडिंग केस की फाइलें अब तक ऑफलाइन जमा होती थीं। इस कारण कई बार फाइलों की प्रगति का पता लगाना कठिन होता था। कुछ मामलों में फाइलों की निगरानी संभव नहीं होती थी। ओवीसीएस लागू होने के बाद अब

उपाध्यक्ष ने ओवीसीएस का शुभारंभ किया

शमन मानचित्र के लिए आवेदक पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने के साथ ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकेंगे। वे अपने आवेदन की रियल टाइम स्टेटस भी जान सकेंगे। नई व्यवस्था में आवेदन मिलने से अंतिम निर्णय तक जेई से लेकर उपाध्यक्ष स्तर तक प्रत्येक अधिकारी के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्येक स्तर पर निर्धारित अवधि में प्रकरण का निस्तारण करते हुए या तो मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा अथवा जरूरी आपत्तियां दर्ज की जाएंगी।

आज—दि० 05.08.2026

वीडीए कम्पाउंडिंग मानचित्रको किया ऑनलाइन

विकास प्राधिकरण डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में अब आनलाइन कम्पाउंडिंग सिस्टम को शुरू करने जा रहा है। इसके तहत मानचित्र स्वीकृति से संबंधित कम्पाउंडिंग प्रकरणों की फाइलें आफ लाइन

हो जाते हैं। अब नयी विधि के तहत कम्पाउंडिंग मानचित्र पूर्णतः ऑनलाइन किये जा सकेंगे। आवेदक अपने ड्राइंग एवं आवश्यक अभिलेख पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं और इसी पोर्टल पर

भवन स्वामी आवेदन के प्रत्येक चैनल की प्रगति ऑनलाइन देख सकेंगे। सभी पंजीकृत आर्किटेक्ट पोर्टल के संचालन एवं उसकी उपयोगिता के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आवेदन प्राप्त होने से लेकर

अधिक से अधिक भवन स्वामियों को मानचित्र स्वीकृत हेतु उत्प्रेरित किया जायेगा। निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही की जायें। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली का उद्देश्य केवल प्रक्रिया का ऑनलाइन करण नहीं है। जिसमें नागरिकों को तेज और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध हो सकें। उपाध्यक्ष ने कहा कि पांच ज़ोन में मानचित्र स्वीकृति एवं कम्पाउंडिंग से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी दी जायें। फील्ड स्टार क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करें। साथ ही प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान आम एवं गरीब नागरिकों के साथ संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जायें। लोगों को असुविधा एवं उत्पीड़न की कार्रवाई का सामना न करना पड़े। कार्यक्रम में सहायक नगर नियोजक सोरभ जोशी, पांचों ज़ोन के जूनियर अधिकारी इंजीनियर्स, लिपिकगण और आईटी एक्सपर्ट दिनेश सिंह मौजूद थे।

उपाध्यक्ष ने सिस्टम का किया शुभारंभ

अन्तिम निर्णय तक कनिष्ठ अभियन्ता से लेकर उपाध्यक्ष स्तर तक प्रत्येक अधिकारी कार्य निष्पादन की समय सीमा के भीतर काम करेगा। आधुनिक पद्धति में समय का विशेष महत्व दिया गया है। जिसमें मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। या भवन उपविधियों के अनुसार पत्रावली पर आपत्तियां दर्ज की जायेंगी। इस पद्धति से अनावश्यक विलम्ब समाप्त हो जायेगा। विप्रा के उपाध्यक्ष पूर्ण बोराने अधिकारियों को निर्देशित किया कि



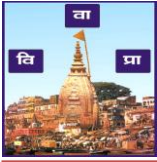
माध्यम से जमा और संचालित होती थीं। ऐसा देखा गया है कि कई पत्रावलियां न मिलने के कारण गृहस्वामियों को परेशानी होती थी। कुछ मामलों में तो फाइलों के ट्रेक भी

ऑनलाइन शुल्क भी जमा कर सकेंगे। इससे आवेदक की ऑनलाइन जमा करने की निश्चित समय और उसकी वस्तुतः स्थिति क्या है पता कर सकेंगे। आर्किटेक्ट एवं



: vcvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स – दि० 05.08.2026

डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में वीडिए का बड़ा कदम, ऑनलाइन वीडिए कंपाउंडिंग सिस्टम का शुभारम्भ

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिक सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए ऑनलाइन वीडिए कंपाउंडिंग सिस्टम का शुभारम्भ प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुर्ण बोर ने किया गया। अब तक मानचित्र स्वीकृति से संबंधित कंपाउंडिंग प्रकरणों की फाइलें ऑफलाइन माध्यम से जमा एवं संचालित होती थीं, जिसके कारण कई बार फाइलों की प्रगति का पता लगाना कठिन हो जाता था तथा कुछ मामलों में फाइलों का ट्रैक भी खो जाता था। हड़्डिट्स लागू होने के बाद अब कंपाउंडिंग हेतु आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन किए जा सकेंगे। आवेदक अपने ड्राइंग एवं आवश्यक अभिलेख पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे, ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकेंगे तथा अपने आवेदन की रियल-टाइम स्टेटस ट्रैकिंग भी कर सकेंगे। साथ ही संबंधित आर्किटेक्ट एवं भवन स्वामी आवेदन की प्रत्येक चरण की प्रगति ऑनलाइन देख सकेंगे। इस नई प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए

प्राधिकरण द्वारा सभी पंजीकृत आर्किटेक्ट्स को हड़्डिट्स पोर्टल के संचालन एवं उपयोग का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा चुका है। नई व्यवस्था के



अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने से लेकर अंतिम निर्णय तक कनिष्ठ अभियंता से लेकर उपाध्यक्ष स्तर तक प्रत्येक अधिकारी के लिए कार्य निष्पादन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्येक स्तर पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रकरण का निस्तारण करते हुए या तो मानचित्र

स्वीकृत किया जाएगा अथवा भवन उपविधियों के अनुरूप आवश्यक आपत्तियाँ दर्ज की जाएंगी। इससे अनावश्यक विलंब समाप्त होगा तथा पूरी

प्रक्रिया अधिक जवाबदेह, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनेगी। इस अवसर पर उपाध्यक्ष श्री पुर्ण बोर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक भवन स्वामियों को मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रेरित किया जाए तथा सभी निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही सुनिश्चित किए

जाएँ। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रणाली का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं का ऑनलाइनकरण नहीं, बल्कि नागरिकों को तेज, पारदर्शी एवं उत्तरदायी सेवाएँ उपलब्ध कराना है। बैठक के दौरान उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण के सभी पाँचों जोनों में मानचित्र स्वीकृति एवं कंपाउंडिंग से संबंधित स्वीकृति एवं लिखित प्रकरणों की ज़रूरत समीक्षा भी की गई। उन्होंने फ़ील्ड स्टाफ को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान आम एवं गरीब नागरिकों के साथ संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाए तथा उन्हें किसी भी प्रकार की अनावश्यक असुविधा या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। कार्यक्रम में सहायक नगर नियोजक श्री सौरभ जोशी, सभी पाँचों जोनों के ज़ोनल अधिकारी, एसोसिएट इंजीनियर्स, कनिष्ठ अभियंता, लिपिकगण तथा आईटी एक्सपर्ट श्री दिनेश सिंह उपस्थित रहे।

